सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 203 राँची, सोमवार, 6 चैत्र, 1938 (श०)
27 मार्च, 2017 (ई०)

योजना-सह-वित्त विभाग
(वित्त प्रभाग)

संकल्प
17 मार्च, 2017

विषय : **पथ निर्माण विभाग द्वारा RIDF-XXII के तहत् 04-ग्रामीण पथ परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 10676.92 लाख रुपये के ऋण आहरण की स्वीकृति के संबंध में ।**

संख्या:- अर्थोपाय (30)-02/2017/160/बजट-- राज्य में RIDF-XXII के तहत् 04-ग्रामीण पथ परियोजनाओं का कार्यान्वयन पथ निर्माण विभाग द्वारा किया जाना है, जिसके लिए नाबार्ड के पत्र सं० NB.JH.SPD/2628/RIDF-XXII-01/04 Roads/163rd PSC/2016-17 दिनांक 25 जनवरी, 2017 द्वारा रुपये 10676.92 लाख की ऋण राशि स्वीकृत है । अतः मंत्रिपरिषद से प्राप्त स्वीकृति के आलोक में निम्न शर्त्तों के साथ नाबार्ड से ऋण आहरण करने का निर्णय लिय जाता है :-

2. परियोजना की कुल लागत रुपये 19414.54 लाख है, जिसमें नाबार्ड से रुपये 10676.92 लाख एवं राज्य संसाधन का हिस्सा रुपये (1589.29+7148.33) = 8737.62 लाख शामिल है, जिसमें से 31 मार्च, 2016 तक 7148.33 लाख रूपये व्यय किया गया है ।

3. प्रशासी विभाग द्वारा योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त कर ली गई है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से ऋण राशि का आहरण यथा; अनुसूची-I, वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में किये जायेंगे ।

4. ऋण के सामान्य एवं विशेष शर्त्ते नाबार्ड के स्वीकृति पत्र में अंकित है । इसका अनुपालन पथ निर्माण विभाग द्वारा किया जायगा ।

5. नाबार्ड से ऋण राशि का आहरण प्राप्त करने के लिए योजना का त्रैमासिक व्यय प्रतिवेदन प्रशासी विभाग द्वारा सांस्थिक वित्त प्रभाग के माध्यम से वित्त प्रभाग, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार को समर्पित किया जायेगा, जिसके आधार पर नाबार्ड से ऋण राशि का आहरण किया जायेगा । ऋण की मूल राशि एवं इसपर देय ब्याज राशि का भुगतान योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा की जायेगी, जिसके लिए वित्तीय बजट का प्रावधान किया जायेगा ।

6. पथ निर्माण विभाग, NABARD RIDF से संचालित योजना का अपनी website पर प्रारम्भ से अद्यतन की स्थिति संधारित करेगा।

7. चालू (on going) योजना की भौतिक प्रगति एवं वित्तीय प्रगति जल संसाधन विभाग, विभागीय website पर update करेगा ।

8. पथ निर्माण विभाग निर्माण गुणवत्ता का स्वतंत्र evaluator से भी monitoring करायेगा तथा विशेष ध्यान देगा एवं इसे भी website पर update करेगा ।

9. इन पथों की रख-रखाव एवं भविष्य की मरम्मति हेतु Toll लगाकर राशि उगाही का सार्थक पहल पथ निर्माण विभाग करेगा ।

10. संबंधित पथ अगर पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व में नहीं हो तो संबंधित विभागों से स्वामित्व प्राप्त कर, Defect-Liability period के बाहर हो तथा नये Tender के अनुरूप इसका कठोरता से पालन किया जाय ।

11. यह संकल्प विभागीय संलेख 128/बजट दिनांक 6 मार्च, 2017 पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 7 मार्च, 2017 के मद सं०-30 के रूप में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में निर्गत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अमित खरे,
सरकार के अपर मुख्य सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 203--50